



प्र० 26
(नियम 4क देखिए)

२७, बालापुर (अ०. ज०)

(निर्वाचन क्षेत्र से)

SURENDRA KUMAR
ADVOCATE

HARDWAR (INDIA)

No. 02(05)/2001

NOTARIAL
NOTARIAL

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(o/Stamp
Angru.

विधावनसभी (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, सुभाष चहल, पुत्र/पुत्री/पत्नी/जीवित/मरा हुआ दास
आयु..... वर्ष, जो ट-प५९, इलाहाबाद, राज्यपुर
का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... ×

(ii) पुलिस थाना (थाने)..... × जिला (जिले) राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... ×
नहीं

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई..... ×
नहीं

(v) तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किया गये थे..... ×

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं..... ×
नहीं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

Sukhdev Chaudhary

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं मि. ८

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है मि. ८

(iii) पुलिस थाना (थाने) मि. ८ जिला (जिले) राज्य

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है मि. ८

(v) सत्रीख (तारीखे) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे मि. ८

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....
मि. ८

स्थान हरिद्वार
तारीख ९/१/१२

Surendra Kumar
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वर्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्प्रक बात छिपायी नहीं गयी है।

टृटी द्वारा स्थान पर आज तारीख ९/१/१२ को सत्यापित किया।
ATTESTED
Flame ९/१/१२
SURENDRA KUMAR
NOTARY, ADVOCATE

Surendra Kumar
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :— इस प्रलूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

S No 90
09/11/12



Surendra Kumar